न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/03/2017	25–07–2017	29–11–2019

01– रामवतार पुत्र श्री सोणाराम जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम चांदपुरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

–निगरानीकार

बनाम

01– ग्राम पंचायत चांदपुरी, पं.स. थानागाजी, जिला अलवर जरिये सरपंच।
02– ग्राम पंचायत चांदपुरी, पं.स. थानागाजी, जिला अलवर जरिये सचिव।

–अनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आदेश 20.04.2016 ग्राम पंचायत चांदपुरी, पंचायत समिति थानागाजी जिला अलवर

उपस्थितः–
01–श्री महेश चंद्र शर्मा –वकील निगरानीकार
02–श्री भूपेंद्र कुमार सोनी –वकील अनिगरानीकार

–:निर्णयः–

निगरानीकार ने यह निगरानी ग्राम पंचायत चांदपुरी के आदेश दिनांक 20.04.2016 से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकारो को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील निगरानीकार के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने प्रा0पत्र निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त विवादित पट्टा दि0 20.04.2016 को ग्राम पंचायत द्वारा मिन निगरानीकार के पीछे से जारी किया गया है। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दि0 25.05.2017 को हुई। नकल प्राप्त कर बिना देरी के निगरानी पेश की गई। मिन निगरानीकार गरीब व्यक्ति है। निगरानीकार के बुजुर्गों का एक पुश्तैनी बाड़ा 35 फुट गुणा 50 फुट वाके ग्राम चांदपुरी तहसील थानागाजी जिसकी तरफ पूर्व पड़त जमीन, उसके पश्चात् पंचायत भवन, तरफ पश्चिम सरकारी सड़क, तरफ उत्तर गली 03 फुट चौड़ी, उसके बाद मूलिया का मकान, तरफ दक्षिण को अटल सेवा केन्द्र स्थित है। जिस पर निगरानीकार बुजुर्गों के समय से ही काबिज रहकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। विवादित बाडें में अपनी बहस इत्यादि बांधता है। सरपंच एक राजनैतिक व्यक्ति है, जो निगरानीकार से रंजिश रखता है। जो पट्टा जारी किया गया है उसके अनुसार कोई भूमि नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी करना बताया है उस पट्टे में पैमाईश 35फुट गुणा 72फुट दर्शायी गयी है। जबकि मौके पर विवादित बाड़ा 35 फुट गुणा 50 फुट है। ग्राम पंचायत द्वारा दि0 20.04.2016 को मिटिंग में यह प्रस्ताव लेना बताया है कि पूर्व बैठक में उज्रदारी नोटिस में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। जबकि पूर्व बैठक दि0 03.08.2016 में पट्टे बाबत किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव लिया जाना नहीं है और ना ही नोटिस उज्रदारी लिये जाने बाबत दर्ज किया गया है। दि0 20.04.2016 को लिया गया पट्टा प्रस्ताव ग्रामवासीयान् की जानकारी के बिना पट्टा सं0 04 जारी किया गया है। उक्त प्रस्ताव बिना

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

गांव वालों के ग्राम पंचायत में नही लेकर सरपंच व सचिव द्वारा अंतिम पेज पर फर्जकारी किया जाना पूर्णतया साबित होता है। अनिगरानीकार ने मिन निगरानीकार को विवादित आराजी से जबरन बेदखल कर दिया तो मिन निगरानीकार को नापूर्ति वाली क्षति होगी। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत चांदपुरी पं.स. थानागाजी जिला अलवर द्वारा पारित पट्टा सं0 04 दि0 20.04.2016 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अनिगरानीकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि निगरानीकार द्वारा उक्त निगरानी झूठे एवं भ्रामक तथ्यों के आधार पर की गयी है। वास्तविक स्थिति यह है कि पंचायत भवन से लगती हुई जमीन जो पंचायत की मिलकीयत थी उस जमीन पर निगरानीकार द्वारा भैंसों का गोबर आदि पटक कर अतिक्रमण किया जा रहा था। जिस अतिक्रमण को ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् रूप से हटाकर जाकर जमीन को पंचायत भवन के साथ मिलाया गया और उसके बाद नियमानुसार पट्टा जारी किया गया। निगरानीकार को अप्रार्थीगण द्वारा कोई हानि नहीं पहुंचाई गई है। पंचायत के पास पंचायत की भूमि का पट्टा जारी करने के समस्त कानूनी अधिकार है। पंचायत द्वारा सभी निर्णय सर्वसम्मति से विधिसम्मत् तरीके से लिये गये है। निगरानीकार द्वारा विवादित आराजी के संबंध में एक दीवानी वाद बउनवान रामावतार बनाम शिव कुमार व अन्य दायर किया हुआ है जो विचाराधीन है। विवादित पट्टे बाबत सिविल न्यायालय में निगरानीकार व पंचायत के मध्य मुकदमें विचाराधीन है। जिस कारण निगरानीकार को एक ही प्रकरण में भिन्न–2 न्यायालयों में मुकदमें करने व अनुतोष प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः निगरानीकार की निगरानी खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत के निर्णय की निगरानी न्यायालय हाजा को पेश की गई है। जबकि ग्राम पंचायत की अपील पंचायत समिति में करनी चाहिए थी। उक्त पट्टे के संबंध में माननीय सिविल न्यायाधीश, थानागाजी द्वारा राजीनामा तस्दीक कर डिक्री किया गया है तो इस न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना शेष नहीं है। निगरानीकार की निगरानी खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी निगरानीकार खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थं भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29-11-19

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)